बिहार सरकार
राज्य योजना

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–1/पी0सी0आर0(विविध/प्र0प्र0)09–10/2011– 105

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

उपनिदेशक(मु0)
–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग।

पटना, दिनांक– 01-03-17

विषय:–वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना मद से अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, संशोधन अधिनियम–2015, नियम–1995 एवं (संशोधन) नियम–2016 तथा अनु0 जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 एवं नियम–2007 के प्रावधानों के पुस्तक का प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन की पुस्तिका, विभागीय योजनाओं की हस्त पुस्तिका, प्रचार–प्रसार, होर्डिंग लगाने, नुक्कड नाटकों, जागरूकता शिविर एवं कार्यशाला का आयोजन हेतु कुल ₹2,50,000/–(दो लाख पचास हजार रू0) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–35 दिनांक–23.08.2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना मद से अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, संशोधन अधिनियम-2015, नियम–1995 एवं (संशोधन) नियम–2016 तथा अनु0 जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 एवं नियम–2007 के प्रावधानों के पुस्तक का प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन की पुस्तिका, विभागीय योजनाओं की हस्त पुस्तिका, प्रचार–प्रसार, होर्डिंग लगाने, नुक्कड नाटकों, जागरूकता शिविर एवं कार्यशाला का आयोजन हेतु कुल ₹90,00,000/–(नब्बे लाख रू0) मात्र की स्वीकृति दी गई है। उक्त स्वीकृति आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹87,50,000/–(सतासी लाख पचास हजार रू0) मात्र की राशि जिलों को पत्रांक–49 दिनांक–13.10.16 द्वारा आवंटित किया गया है। इसी क्रम में स्वीकृति के आलोक में निदेशालय स्तर पर व्यय हेतु **कुल ₹2,50,000/–(दो लाख पचास हजार रू0)** मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2– आवंटित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना मद में मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण– उप मुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–001- निदेशन और प्रशासन–उप शीर्ष–0101–निदेशन और प्रशासन–मांग सं0–44–विपत्र शीर्ष–2601–विज्ञापन और प्रकाशन" विपत्र कोड पी0–2225010010101 (राज्य योजना स्कीम कोड–SST- 5457) के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

3– आंवटित राशि अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, संशोधन अधिनियम–2015, एवं (संशोधन) नियम–2016 तथा अनु0 जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 एवं नियम–2007 के पुस्तक का प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन की पुस्तिका, योजनाओं की हस्त पुस्तिका, प्रचार–प्रसार, होर्डिंग लगाने, नुक्कड नाटकों, कार्यशाला का आयोजन तथा पोस्टर/पम्पलेट इत्यादि पर व्यय किया जाएगा। इस आंवटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उपनिदेशक (मु0) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग होंगे। वे राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक 17–4–98 एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे ।

5– इस योजना के तहत् वित्तीय नियमावली के अनुसार सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर राशि का व्यय किया जाएगा।

6– इस आवंटन के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक–31–03–2017 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेगें।

7– इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार) 1/3/17
निदेशक।

ज्ञापांक— **1/पी0सी0आर0(विविध/प्र0प्र0)09—10/2011—** 105 दिनांक— 01-03-17

प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी—3डी0, 4डी0, 5डी0 एवं 6डी0 /सांख्यिकी शाखा, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा(दोहरी प्रति में) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक— **1/पी0सी0आर0(विविध/प्र0प्र0)09—10/2011—** 105 दिनांक— 01-03-17

प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक— **1/पी0सी0आर0(विविध/प्र0प्र0)09—10/2011—** 105 दिनांक— 01-03-17

प्रतिलिपि— आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेब साईट (Web site) पर जारी करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक